न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **57 / 2017** अपील **(राजस्व)**

श्री वालुराम पुत्र वरदा डांगी निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर

.....**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट विरूद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार वल्लभनगर, प्रकरण संख्या 836 / 2017 ना.क. निर्णय दिनांक 09.11.17

उपस्थितः (1) श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता अपीलार्थी
(2) श्री मनोज पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 26.03.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवारी हल्का धमानिया द्वारा आराजी संख्या 524, 499, 534 रकबा 1 बिघा नाजायज कब्जा बाबत रिपोर्ट तहसीलदार वल्लभनगर को प्रस्तुत की गई जिस पर तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 06.11.17 का नोटिस दिया गया। अपीलार्थी के दिनांक 06.11.17 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 09.11.17 की प्रदान की गई। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिती में दिनांक 09.11.17 को ही बेदखली के आदेश व 50 रूपये शास्ति के आदेश प्रदान कर दिये गये। उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर कानुनन निरस्त योग्य हैं। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

साक्ष्य सबुत दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा जो नोटिस तामिल करवाया गया वह नोटिस अपीलार्थी को तामिल नहीं करवाया जाकर किसी अन्य व्यक्ति से तामिल करवाया गया। न्यायालय की कार्यवाही का ज्ञान अपीलार्थी को नहीं था जिस कारण से दिनांक 06.11.17 को अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी की अनुपस्थिति में एवं बिना प्रोपर सूचना दिये ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.11.17 को अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली के आदेश प्रदान कर दिये गये। पटवारी द्वारा 1 बिघा का जो नाजायज कब्जा बताया गया है वह गलत हैं। उक्त आराजी पर अपना मकान बनाकर अपीलार्थी वर्षो से रह रहा हैं। उसमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा हैं। इसके अलावा विपक्षी के पास कोई निजी भूखण्ड या रिहायशी मकान भी नहीं हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा ऋण लेकर आवासीय मकान बनाया है जिसमें परिवार सहीत निवास करता हैं। मवेशियो के रखने का बाड़ा भी बना रखा हैं। कुॅआ भी खुदवा रखा हैं। इस भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव भी वर्ष 2015 में ग्राम सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ग्राम पंचायत धमानिया में हल्का आबादी की भूमि नही है तथा आबादी के लिहाज से गॉव बहुत बड़ा है तथा बिलानाम व चरागाह भूमि के अलावा कोई आवासीय भूमि ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं हैं। चरागाह भूमि ग्राम पंचायत धमानिया के नाम पर दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खारीज फरमाते हुए भूमि का नियमन अपीलार्थी के नाम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौजा धमानिया पटवारी हल्का धमानिया तहसील वल्लभनगर की आराजी संख्या 524, 499, 534 रकबा 1 बिघा भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 20–30 वर्ष से कब्जा होकर अपीलार्थी द्वारा ऋण लिया

जाकर इस भूमि पर रिहायशी मकान भी बनाया हैं। जिसमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा हैं। गायो का बाड़ा भी बना रखा हैं। पानी पीने के लिये कुॅआ भी खुदवाया हैं। उक्त सारे कार्य की लागत हजारो रूपये हैं। अपीलार्थी द्वारा इस भूमि को काफी लागत व मेहनत से आबादान किया गया हैं। अपीलार्थी काफी गरीब काश्तकार हैं। इस भूमि पर निर्मित मकान में परिवार सहित निवास करता है। 2015 में ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा में प्रस्ताव पारित कर इस भूमि को आबादी में लिये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को निवेदन किया गया था। गॉव के हिसाब से ग्राम पंचायत के पास में कोई आबादी की भूमि भी उपलब्ध नहीं हैं। अपीलार्थी काफी गरीब व्यक्ति है जिसके पास कोई रिहायशी मकान भी नहीं हैं। यदि उसे बेदखल कर दिया जाता है तो वह बरबाद हो जायेगा तथा परिवार सहित रोड़ पर आ जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिया गया नोटिस भी अपीलार्थी को तामिल नहीं हुआ। किसी अन्य व्यक्ति को तामिल करवाया गया जिसकी सूचना अपीलाथी को नहीं हैं। परन्तु दिनांक 09.11.17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर 50 रूपये की शास्ति आरोपित की गई। दिये गये आदेश में 06.11.17 से सीधा आदेश 09.11.17 में बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। जबकि दिनांक 06.11.17 की आदेशिका रीडर साहब द्वारा सम्भवतः बाद में आदेश के पीछे लिखी गई है। प्रथम दृष्ट्या अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ही न्यायालय की आदेशिका में विरोधाभास प्रकट होता हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.17 को निरस्त फरमाकर वादग्रस्त भूमि का नियमन अपीलार्थी के नाम किये जाने के आदेश तहसीलदार वल्लभनगर को दिये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में अपीलार्थी के कथनो का पुरजोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का धमानिया द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार वल्लभनगर को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा

मौजा धमानिया की आराजी संख्या 524, 499, 534 रकबा 1 बिघा भूमि किस्म चरागाह पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया हैं। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा विधिवत धारा 91 का नोटिस अपीलार्थी को जारी किया गया। तामिलशुदा नोटिस संलग्न पत्रावली हैं। बावजुद नोटिस तामिल के अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति को दर्ज करते हुए बेदखली के आदेश नियमानुसार जारी किये गये एवं प्रावधानानुसार शास्ति 50/– रूपये आरोपित की गई। अपीलार्थी द्वारा किस्म चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हैं। जिसका नियमन नहीं किया जा सकता हैं। चरागाह की भूमि सिर्फ ग्राम की पशुधन के चरागाह के लिये ही उपयोग में ली जा सकती हैं। अपीलार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर भूमि को हथियाने की कुचेष्टा की गई हैं। जिसके फलस्वरूप ही अपीलार्थी को बेदखली के आदेश दिये गये हैं। जो कानुन सम्मत होकर आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की कानुनी त्रुटी नहीं की गई हैं। यदि भूलवंश लिपिक द्वारा दिनांक 06.11.17 की आदेशिका मुल आदेश के पीछे लिख दी गई है तो वह नहीं देखी जा सकती हैं। जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी आदेशिका लिपिक द्वारा क्योकर लिखी गई जिसका पता लिपिक से ही लग सकता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैध होकर निरस्त होने योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण किस्म चरागाह भूमि पर किया गया। जिसका नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहीर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस विधिवत दिया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न नोटिस का अवलोकन करने पर जाहीर आता है कि नोटिस की तामिल अपीलार्थी को

नहीं होकर दीगर मांगीबाई को हुई हैं। मांगीबाई कौन थी। जिसका उल्लेख तामिल कुनिन्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया हैं। जिस आधार पर नोटिस की तामिल अपीलार्थी को प्रोपर नहीं मानी जा सकती हैं। साथही न्यायालय अपीलार्थी के इस कथन से भी सहमत है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.17 की तारीख पेशी दी गई। परन्तु आगामी तारीख पेशी 09.11.17 अंकित कर अपीलार्थी को अनुपस्थित मानते हुए बेदखली के आदेश प्रदान कर दिये गये जबकि मुल आदेश के पृष्ठ भाग में दिनांक 06.11.17 की आदेशिका लिखी गई हैं। जो निरंतर नहीं हैं। ऐसा प्रतित होता है कि बाद में लिखी गई हैं। ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ देते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर का आदेश दिनांक 06.11.17 को अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशो के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारानो को पुनः नये सीरे से विधिवत सुना जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण की सुनवाई विधिवत साक्ष्य सबुतो के आधार पर गुणावगुण पर आदेश पारित किया जावें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर